>

Title: Regarding clarification on Rule 220.

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सभी पक्ष सुने । मेरी कोशिश रही है कि वित्त विधेयक हो या डिमाण्ड हो, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दिया है । जब रेलवे की डिमाण्ड्स थीं तब भी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया और उस दिन हाउस रात के 12 बजे तक चला था । आज भी रोड़ ट्रांसपोर्ट पर चर्चा है । मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा । आपके समय की कोई कटौती नहीं होगी । सदन जितनी देर बैठना चाहेगा, उतनी देर इस सदन में चर्चा होगी ।

प्रो. सौगत राय : सर, सवाल व्यवस्था का है ।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जितना फाइनेंस बिल जरूरी है, उतने ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं । इसलिए नियम 220 में यह स्पष्ट है कि कभी भी किसी वस्तु पर स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि आप फाइनेंस बिल के बीच में कोई बिल नहीं ले सकते हैं । इसलिए मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि इसको कार्य सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इस बिल पर चर्चा के लिए मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह करता हूं ।

12.35 hrs